

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

क्रमांक / अकादमिक / अ०म० / 2025 / 482/2

रीवा, दिनांक 18/02/25

अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेशविश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत कलासंकाय अन्तर्गत संस्कृत के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी :-

संस्कृत अध्ययन मण्डल

अधिनियम 28(2) एक

1. रिक्त

28(2) दो

1.

डॉ. आर.पी. चतुर्वेदी,
विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग,
शास. ठा.र. सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

2.

डॉ. सुरेश प्रताप सिंह,
विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग,
शास. महाविद्यालय अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.)

28(2) तीन

1.

रिक्त

28(2) चार

1.

डॉ. भोला सिंह कुशराम,
विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग,
सं.गां.स्मृ. शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीधी (म.प्र.)

2.

डॉ. ममतागुप्ता
विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग,
शास. विवेकानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय मैहर (म.प्र.)

28(2) पाँच

1.

डॉ. ए.पी. पटेरिया
प्राध्यापक,
शास. ठा.र. सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

2.

अधिनियम 28(3) के अन्तर्गत डॉ. आर.पी. चतुर्वेदी, को संस्कृत अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म०प्र०)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म०प्र०)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, कला संकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म०प्र०)
8. कुलगुरु जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)